CANCELLED

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर म.प्र.

R-43-III/14

1. लखनलाल तनय स्व0 पंचम महराज
2. श्रीमति सावित्री बेवा रामनारायण महराज

दोनो निवासी महाराजपुर तह0 व जिला छतरपुर म.प्र. ... आवेदकगण

27 DEC 2013

।।बनाम।।

1. ओमप्रकाश तनय गौरीशंकर चौरसिया
निवासी महाराजपुर तह0 व जिला छतरपुर

2. म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर ... अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959

आवेदकगण निम्न लिखित प्रार्थना करते है :-

यहकि, आवेदकगण उक्त निगरानी आदेश न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के प्र0क्र0 948बी-121 वर्ष 08-09 आदेश दिनांक 24.07.12 से पीड़ित होकर श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत कर रहे है ।

2- यहकि, प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है कि आवेदकगण के पूर्वज पंचम बल्द वंशीधर ब्राहमण (पुजारी) ग्राम महाराजपुर को एक पट्टा दिनांक 01.06.1939 को बंदोवस्त अधिकारी छतरपुर द्वारा ख.नं. 675, 676, 677, 678, 679, एवं 680 कुल रकवा 8.06 हे0 का पंचम बल्द वंशीधर ब्राहमण पुजारी ग्राम महराजपुर को प्राप्त हुआ था तथा समस्त राजस्व रिकार्ड मैं उनका नाम दर्ज किया गया, पंचम के देहांत के पश्चात उनके वारसान रामनारायण, लखन पिता पंचमलाल पुजारी का नाम संवत 2009 मैं दर्ज हुआ तथा वह खेती करते चले आ रहे है तथा वह ही उक्त आराजी पर एकमात्रभूमि स्वामी तथा आधिपत्यधारी रहे, समस्त

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

जिला छतरपुर

प्रकरण क्रमांक निगरानी-44-तीन/2014

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15-06-2018	आवेदक की ओर से श्री राजेश सेन, अभिभाषक उपस्थित । उनके द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपर आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27-07-2012 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त द्वारा स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि आवेदक द्वारा ऐसे कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये है जिसके आधार पर उनके तर्कों को मान्य कर विलम्ब माफ किया जा सके । अपर आयुक्त द्वारा निकाला गया निष्कर्ष विधिसंगत है जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है । फलस्वरूप यह निगरानी प्रथम दृष्ट्या आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (हस्ताक्षर) सदस्य	
रीडर		